

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : २०२५/अका. / २००५

रायपुर, दिनांक : 11/2/2005

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की नवीं बैठक दिनांक 05.03.2005 के भाग-ख 'अध्यादेश' के निर्ण्य कमांक (2) में अध्यादेश कमांक 45 (डाक्टर ऑफ फिलासाफी) की कंडिक –1 में निम्नलिखित स् शोधन को अनुमोदन प्रदान किया गया :-

A candidate for the degree of Doctor of Philosophy must, at the time of application, hold Master's degree with atleast 55% marks (50% marks for SC/ST/HANDICAPPED CANDIDATE) or an equivalent grade of M.Phil. degree of the University, a deemed (i) University or any other University incorporated by any law for the time being inforce and recognised by the University.

Provided that a candidate who has atleast 7 years experience of research/ teaching with atleast 5 papers published in standard research journal, be permitted to get registered for Ph.D. degree, even if he does not posses 55% marks at masters

अध्यादेश कमांक 45 (डॉक्टर ऑफ फिलासाफी) की कंडिका-1 में निम्नानुसार द्वितीय परन्तुक जोड़े जाने के प्रस्तीव को अनुमोदन प्रदान किया गया -(ii)

Provided further that in the examinations under the faculty of Ayurveda & Medicine where no divisions are awarded to the successful examinees. The rhinimum requirement of obtaining 55% of marks shall not apply.

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना प्रसारण की तिथि से प्रभावशील होगा । तद्नुसार अध्यादेश मे आवश्यक संशोधन किया जावे ।

आदेशान्सार,

Cay 2

कुलसचिव

प्.कमांक 2025 अका. / 2005 प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 1 | /१ / 2005

- सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा संचालनालय, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर । 1.
- कुलसचिव, छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त विश्वविद्यालय । 2.
- प्राचार्य / समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय में मान्यता प्राप्त शोध केन्द्रों को ।
- विभागाध्यक्ष, समस्त अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर । 3.
- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, गोपनीय विभाग, 5.
- कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । 6.